रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 1970/आषाढ़ 22, 1892

No. 14] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 1970/ASADHA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July 1970

S.R.O. 20-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 30th August, 1970 as the date on which ordinary election in Nasirabad Cantonment shall be held.

[File No. 29|20|C|L&C|66|2339-C|D(Q&C).]

D. K. BHATTACHARYA, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई 1970

का० नि० आ० 20–E.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 30 अगस्त,

1970 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को नसीराबाद छावनी में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे ।

[सं० फा० 29/20/सी०/एल० एण्ड सी०/66/2339-सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

दिलीप कुमार भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970